



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259530
CG-DL-E-19122024-259530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25 1946

No. 708]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 770(अ).— अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. अमोनियम नाइट्रेट, 2012 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में,

क. खंड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ढ क) "सूक्ष्म और लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित उद्यम अभिप्रेत है।

(ढ ख) "सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप" से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत तथा सा.का.नि. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 की राजपत्रित अधिसूचना के पैराग्राफ 1 के खंड (क) में यथापरिभाषित निकाय अभिप्रेत है।"

ख. खंड (ध) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(न) "महिला उद्यमी" से महिला के स्वामित्व और नियंत्रण वाला ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसकी पूंजी में उनका न्यूनतम 26 प्रतिशत वित्तीय हित शामिल है।"

3. उक्त नियमों के नियम 29 के उप-नियम (1) को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) पूर्व अनुमोदन, अनुज्ञप्ति जारी करने और संशोधन के लिए निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	शुल्क (रुपए में)	स्टार्टअप सहित सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए शुल्क (रुपए में)	महिलाओं के लिए शुल्क (रुपए में)
क.	पूर्व अनुमोदन हेतु जांच शुल्क	1000	500	200
ख.	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट को गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने लिए अनुज्ञप्ति	20000 प्रतिवर्ष	10000 प्रतिवर्ष	4000 प्रतिवर्ष
ग.	किसी भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने [अथवा टैंक में गले हुए अमोनियम नाइट्रेट] के लिए अनुज्ञप्ति	2000 प्रतिवर्ष	1000 प्रतिवर्ष	400 प्रतिवर्ष
घ.	किसी भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने (अथवा टैंक में गले हुए अमोनियम नाइट्रेट) के लिए अनुज्ञप्ति	1000 प्रतिवर्ष	500 प्रतिवर्ष	200 प्रतिवर्ष
ङ.	अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति	5000	2500	1000
च.	अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	5000	2500	1000
छ.	अमोनियम नाइट्रेट को नौभरण एवं पेटी में रखने और भंडारण के लिए	20000 प्रतिवर्ष	10,000 प्रतिवर्ष	4000 प्रतिवर्ष

ज.	अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति	2000 प्रतिवर्ष	1000 प्रतिवर्ष	400 प्रतिवर्ष
झ.	अनुज्ञप्ति में संशोधन	1000	500	200

(1क) उपर्युक्त उप-नियम 1 में उल्लिखित शुल्क में छूट का दावा करने के प्रयोजन हेतु, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्:-

क. सूक्ष्म और लघु उद्यम- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

बशर्ते कि उपर्युक्त उक्त छूट, केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम पर लागू होगी और यह मध्यम उद्यम पर लागू नहीं होगी।

(ख) सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप-उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकरण का दस्तावेजी साक्ष्य।

बशर्ते कि उपर्युक्त उक्त छूट केवल सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप पर लागू होगी और यह मध्यम स्टार्टअप पर लागू नहीं होगी।

(ग) महिला उद्यमी- फर्म या कंपनी के स्वामी अथवा निदेशक का दस्तावेजी साक्ष्य।

(1ख) ऐसे मामले में जहां, सूक्ष्म और लघु उद्यम या सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप का स्वामित्व या नियंत्रण महिला द्वारा किया जाता है, तो जो भी शुल्क कम होगा, वह लागू होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक पायी जाती है, तो ऐसे अनुमोदन या अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

[फा.सं. पी-13033/92/2023-विस्फोटक]

डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 469(अ) दिनांक 9 जुलाई, 2013, सा.का.नि. 938(अ) दिनांक 27 सितंबर, 2018 तथा सा.का.नि. 608 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2024

G.S.R. 770(E).— The draft of the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 read with section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULE

1. Short titled and commencement:-

(1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2024.

2. They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
3. In rule 2 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (herein after referred to as said rules),
 - a. after clause (n), the following clauses shall be inserted namely:-

“(na) “*Micro and Small Enterprises*” means an enterprise defined in clause (h) and clause (m) of section 2 of the *Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006*.

(nb) “*Micro & Small Startup*” means an entity registered with *Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry* and as defined in clause (a) of paragraph 1 of the *Gazette Notification having G.S.R. 127(E) dated 19th February, 2019*”.

- b. after clause (s), the following clause shall be inserted namely:-

“(t) “*Women Entrepreneur*” means an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26% of the capital”.

3. For sub-rule (1) of the rule 29 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

“(1) The following fee shall be payable for prior approval, issuance of licences and amendment, namely:-

Sl. No.	Type of Fee	Fees (in Rs.)	Fees for Micro & Small Enterprises including Startup (in Rs)	Fees for Women (in Rs)
a.	Scrutiny fee for prior approval	1000	500	200
b.	Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa and possess for sale [of Ammonium Nitrate]	20000/ Year	10000 / Year	4000 /Year
c.	Licence to Possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house [or Ammonium Nitrate melt in tank]	2000 / Year	1000 / Year	400 / Year
d.	Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house [or Ammonium Nitrate melt in tank]	1000 / Year	500 / Year	200 / Year
e.	Licence to Import Ammonium Nitrate	5000	2500	1000
f.	Licence to Export Ammonium Nitrate	5000	2500	1000
g.	Licence to bag and store Ammonium Nitrate	20,000/Year	10,000 / Year	4000 / Year
h.	Licence to Transport Ammonium Nitrate	2000 / Year	1000 / Year	400 / Year
i.	Amendment of licence	1000	500	200

(1A) For the purpose of claiming relaxation in fees as mentioned in sub-rule (1) above, the applicant shall submit the following documents, namely:-

- (a) Micro and Small Enterprises - Certificate issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Enterprises and not for Medium Enterprises.

- (b) Micro and *Small Startup* - Documentary evidence towards registration with *Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Startup and not for Medium Startup.

- (c) Women Entrepreneur - Documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company

(1B) In case where Micro and Small Enterprises or Micro and Small Startup *owned and controlled by a woman*, the fees whichever is lower shall be applicable.

Provided that if information submitted by the applicant, is found to be false or misleading at any stage, the approval or license shall be liable to be cancelled”.

[F. No. P-13033/92/2023-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide G.S.R 469(E), dated the 9th July, 2013, G.S.R. 938(E) dated the 27th September, 2018 and G.S.R. 608(E) dated the 31st August, 2021 .